



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939

No. 679]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 998(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (1) दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के लिए निदेश भारत सरकार के मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा या राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के राज्य सरकार के भार साधक सचिव (जिसे इसमें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है), द्वारा किए गए आदेश द्वारा ही जारी किए जाएंगे अन्यथा नहीं और अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां ऐसा आदेश ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा जारी किया जा सकेगा :

परंतु केन्द्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए आदेश, ऐसे आदेश के जारी किए जाने के चौबीस घंटे के भीतर सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पुष्टि के अध्यक्षीन होगा :

परंतु यह और कि दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का आदेश उक्त चौबीस घंटे की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के प्राप्त न होने की दशा में अस्तित्वहीन हो जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में, ऐसे निदेश के लिए कारण अन्तर्विष्ट होंगे और ऐसे आदेश की प्रति अगले कार्य दिवस तक सम्बद्ध पुनर्विलोकन समिति को अग्रेषित की जाएगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए निलंबन के लिए निदेश तार प्राधिकारी के पदाभिहित अधिकारियों को या ऐसे सेवा प्रदाताओं, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्तियां अनुदत्त की गई हैं, के पदाभिहित अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षक की पंक्ति या समतुल्य पंक्ति से अन्यून अधिकारी द्वारा लिखित में या सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा सूचित किए जाएंगे और सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक संसूचना और उसके कार्यान्वयन का ढंग तार प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(4) तार प्राधिकारी और सेवा प्रदाता, यथास्थिति, प्रत्येक अनुज्ञप्त सेवा क्षेत्र या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिकारियों को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए ऐसी अध्यक्षों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेंगे।

(5) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी।

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) मंत्रिमंडल सचिव -अध्यक्ष

(ख) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग के भारसाधक सचिव - सदस्य

(ग) भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव -सदस्य

(ii) राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) मुख्य सचिव -अध्यक्ष

(ख) भारसाधक विधि सचिव या विधि परामर्शी-विधि कार्य -सदस्य

(ग) सचिव, राज्य सरकार (गृह सचिव से भिन्न) -सदस्य

(6) पुनर्विलोकन समिति लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण सेवाओं के निलंबन के लिए निदेश जारी करने के पांच कार्य दिवसों के भीतर बैठक करेगी और इस बारे में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि क्या उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए निदेश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार हैं।

[फा. सं. 800-37/2016-एएस.11]

प्रमोद कुमार मित्तल, वरिष्ठ उप-महानिदेशक (एएस)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2017

G.S.R. 998(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the temporary suspension of telecom services due to public emergency or public safety, namely:-

1. (1) These rules may be called the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. (1) Directions to suspend the telecom services shall not be issued except by an order made by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs in the case of Government of

India or by the Secretary to the State Government in-charge of the Home Department in the case of a State Government (hereinafter referred to as the competent authority), and in unavoidable circumstances, where obtaining of prior direction is not feasible, such order may be issued by an officer, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, who has been duly authorised by the Union Home Secretary or the State Home Secretary, as the case may be:

Provided that the order for suspension of telecom services, issued by the officer authorised by the Union Home Secretary or the State Home Secretary, shall be subject to the confirmation from the competent authority within 24 hours of issuing such order:

Provided further that the order of suspension of telecom services shall cease to exist in case of failure of receipt of confirmation from the competent authority within the said period of 24 hours.

- (2) Any order issued by the competent authority under sub-rule (1) shall contain reasons for such direction and a copy of such order shall be forwarded to the concerned Review Committee latest by next working day.
- (3) The directions for suspension issued under sub-rule (1) shall be conveyed to designated officers of the telegraph authority or to the designated officers of the service providers, who have been granted licenses under section 4 of the said Act, in writing or by secure electronic communication by an officer not below the rank of Superintendent of Police or of the equivalent rank and mode of secure electronic communication and its implementation shall be determined by the telegraph authority.
- (4) The telegraph authority and service providers shall designate officers in every licensed service area or State or Union territory, as the case may be, as the nodal officers to receive and handle such requisitions for suspension of telecom services.
- (5) The Central Government or the State Government, as the case may be, shall constitute a Review Committee.
 - (i) The Review Committee to be constituted by the Central Government shall consist of the following, namely:-
 - (a) Cabinet Secretary -Chairman;
 - (b) Secretary to the Government of India In-charge, Legal Affairs -Member;
 - (c) Secretary to the Government, Department of Telecommunications -Member.
 - (ii) The Review Committee to be constituted by the State Government shall consist of the following, namely:-
 - (a) Chief Secretary -Chairman;
 - (b) Secretary Law or Legal Remembrancer In-Charge, Legal Affairs -Member;
 - (c) Secretary to the State Government (other than the Home Secretary) -Member.
- (6) The Review Committee shall meet within five working days of issue of directions for suspension of services due to public emergency or public safety and record its findings whether the directions issued under sub-rule (1) are in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act.

[F. No. 800-37/2016-AS.II]

PRAMOD KUMAR MITTAL, Senior Dy. Director General (AS)